रीडर

3.10.22

पत्रावली पेश हुई वादी अनुपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा पूर्व में नोट प्रेस अंकित किया जा चुका है। न्यायालय द्वारा वादी को कक्ष-कक्ष पर तीन बार आवाज लगवाई गई बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ। जिससे जाहिर है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम हाजरी-अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय सेर इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

प्रतिभा वर्मा
IAS
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर